



ज्ञानविद्या

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-2.25

Vol.-2; Issue-1 (Jan.March) 2025

Page No.- 208-212

©2025 Gyanvidha

www.journal.gyanvidha.com

डॉ. मन्दरुपराम देवड़ा

आचार्य - इतिहास विभाग

स.ध. राज. महाविद्यालय, ब्यावर,

जिला - ब्यावर (राज.).

Corresponding Author :

डॉ. मन्दरुपराम देवड़ा

आचार्य - इतिहास विभाग

स.ध. राज. महाविद्यालय, ब्यावर,

जिला - ब्यावर (राज.).

समाज सुधारक के रूप में गांधी की भूमिका (स्त्रियों के उत्थान के विशेष सन्दर्भ में)

सार : गांधी जी मानते थे कि स्त्री पुरुष की सहचरी होती है। उसकी मानसिक क्षमताएँ पुरुष के बराबर होती है। अतः उसे पुरुष के हर कार्य में भाग लेने का अधिकार है। सीता, द्रौपदी, दमयंती और सावित्री अपने काल में उच्चतम शिखर तक पहुँची थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, लोपामुद्रा, घोशा, सिकता, विश्वेश्वरा सभी विदुषियाँ वैदिक ग्रन्थों की रचनाकार होने के साथ ही समाज के सर्वोच्च स्थान पर आसीन थी। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार की उनकी प्रगति को सुनिश्चित करना था।

गांधी जी कहते थे कि स्त्री भयरहित समाज की सबसे मजबूत स्तंभ है। इसमें पिता, पति, भाई श्वसुर, साथी सभी को अपनी पुत्री, पत्नी, बहिन, बहू व मित्र में आत्मरक्षा का गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। जब हमारी स्त्री भयमुक्त होगी तभी वो अपनी आबरू की रक्षा करते हुए एक भयमुक्त सुदृढ़ व सशक्त समाज के निर्माण को गति प्रदान कर पायेगी। तभी हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा।

गांधी जी वैश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं को इस दलदल से निकालकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया। स्त्री की उन्नति के साथ ही समाज की प्रगति सुनिश्चित हो। गांधी जी मानते थे कि शिक्षा ही वो शस्त्र है जो स्त्रियों को न केवल सक्षम बनायेगा अपितु वो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में अपना बखूबी योगदान दे पायेगी। गांधी जी दहेज के भी सख्त विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह एवं कन्या वध की भी निंदा की। गांधी जी ने पुत्रियों को पुत्रों के समान ही पिता का सहारा बताया।

संकेताक्षर:- उपनयन संस्कार, बहुविवाह, कन्यावध, वैश्यावृत्ति, दहेज, ऋग्वैदिक विदुषियाँ, सहचरी, स्वावलंबन, प्रबंधन, पाकीजगी, तलाक, विधवा पुनर्विवाह।

महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित था उनके सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्य सभी ने हर दृष्टिकोण में मानव की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया।

समाज सुधारक के रूप में सदैव उन्होंने महिलाओं के उत्थान, विकास तथा कूपमण्डूप रीति रिवाजों एवं मान्यताओं जिनके कारण महिलाओं का विकास बाधित होता वो उन्हें स्वीकार नहीं करते। गांधी जी ने सदैव महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके रोजगार हेतु घरेलू उद्योगों में उनकी भूमिका सुनिश्चित की तथा परिवार की मुख्य धूरी मानते हुए उसकी ताकत तथा हिम्मत बढ़ाने की बात कही। सामाजिक विभेदता, छूआछूत का प्रारम्भ से ही विरोध किया।

गांधी जी सदैव इस बात को स्वीकार करते थे कि कभी भी नारी को पुरुष के भोग की वस्तु नहीं मानना चाहिये, स्वयं को कभी कमजोर भी नहीं मानना चाहिये स्त्री पुरुष के बहलाव के लिए पैदा नहीं हुई हैं। उसे अबला कहना उसकी निन्दा करना है।

गांधी जी ने अपने पत्र यंग इण्डिया 1930 के पृष्ठ संख्या 130 में लिखा कि "यदि अहिंसा मानव जाति का नियम है तो भविष्य नारी जाति के हाथ में है..... हृदय को आकर्षित करने का गुण स्त्री से ज्यादा और किस में हो सकता है।"

यदि पुरुष अपने अविवेकपूर्ण स्वार्थ से वशीभूत होकर स्त्री की आत्मा को इस तरह कुचला न होता और स्त्री आनंदापभोग की शिकार न बन गई होती तो उसने संसार को अपनी अन्तर्निहित अनंतशक्ति का परिचय दे दिया होता। जब स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार मिलेंगे और वो अपनी शक्तियों को विकसित कर लेगी तब संसार स्त्री शक्ति का उसकी विलक्षणता और गौरव के साथ परिचय पा सकेगा।

स्त्री आत्मत्याग की मूर्ति है, यदि स्त्री पुरुष की सम्मोहक शक्ति से बाहर आ जाये तो वो अबला न रहकर एक शक्ति का रूप हो जायेगी।

गांधी जी मानते थे कि स्त्री पुरुष की सहचरी है उसकी मानसिक क्षमताएँ पुरुष के बराबर है। पुरुष के हर कार्य में उसे भाग लेने का अधिकार है। अपने कार्य में स्त्री को सर्वोच्च स्थान पाने का अधिकार है। सीता, द्रौपदी, सावित्री और दमयंती ने जहाँ अपने काल में सर्वोच्च कार्य किये तथा समाज में शिखर पर थी जैसे ऋग्वेदिक काल में लोपामुडा, सिकता, अपाला, घोण एवं विश्वेश्वरा ने श्रेष्ठ से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। गांधी जी स्त्री की उचित शिक्षा में विश्वास करते थे। स्त्री को आत्म संरक्षण के लिए सदैव जोखिम उठाने में विश्वास करना चाहिये। बिना जोखिम उठाये स्त्री कभी भी अपना आत्म संरक्षण तय नहीं कर सकती। जो स्त्री अपने कर्त्तव्य को समझती उसे पूरा करती उसे अपनी गरिमामयी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह जिस घर की अधिष्ठात्री होती है उस घर की दासी नहीं अपितु स्वामिनी है।

गांधी जी स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते थे। स्त्रियों के अपने अधिकारों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिये। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनाया है। जिस प्रकार उनके शरीर के आकार परिभाषित है उसी प्रकार उनके काम भी परिभाषित है।

स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनी योग्यता से सर्वोच्च मुकाम हासिल करना चाहिये। इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण देखे जाते हैं जिसमें प्रगति के हर क्षेत्र में उन्होंने श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान समय में हम पेरिस ऑलम्पिक 2024 की प्रथम मेडल विजेता मनुभाकर एवं 50 किलो वर्ग में फाईनल में पहुँची विनेश फोगाट इसके सटीक उदाहरण है जो गांधी जी के स्त्री प्रथम के सपने को पूरा करने जैसा है।

स्त्री के चरित्र की निर्मलता को लेकर इतनी विकट चिन्ता करने की क्या जरूरत है? क्या यही बात पुरुष की पाकिजगी के बारे में स्त्री की चिन्ता की बात कभी सुनाई नहीं देती। सतीत्व किसी तापगृह में

विकसित नहीं होता। पर्दे की दीवार खड़ी करके उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। यह अंत से पैदा होने वाली चीज है और इसका महत्व तथी है जब प्रत्येक अवैधानिक प्रलोभन का मुकाबला कर सके।

दहेज को लेकर भी गांधी जी ने विचार स्पष्ट है कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये इसके लिए राष्ट्र के युवा और युवती शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही ऐसी क्रांति लाये जिससे यह प्रथा समूल ही नष्ट हो जाये। यदि फिर भी कोई युवा दहेज में काले हाथ करे तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिये।

दहेज जैसी कुत्सित, अमानवीय प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार होना चाहिये जब दहेज के लोभी लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होगा तथी यह कुत्सित प्रथा समूल नष्ट होगी।

विधवा पुनर्विवाह के बार में भी गांधी जी के विचार थे कि यदि कोई विधवा अपने पति से प्रेमवश स्वेच्छा से विधवा जीवन यापन करती है तो वह अपने घर को पवित्र करती है। यदि कोई स्त्री धार्मिक अथवा सामाजिक मान्यताओं की बाध्यतावश यदि विधवा जीवन स्वीकार करती है तो यह पाप है। बलात् अथवा जबरन वैधेव्य जीवन अपराध है। बाल विधवाओं को इस नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा है।

तलाक अथवा विवाह विच्छेद के मामले में गांधी जी के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। उनका मानना था कि विवाह संयुक्त रूप से एक ऐसा सामाजिक समझौता है जिसके धार्मिक संस्कार के रूप में सम्पन्न करते हुए यह पुरुष व महिला के बीच संयुक्त रूप से शारीरिक सम्बन्धों की पुष्टि है। परन्तु इसमें दोनों की सहमति तथा स्वेच्छा जरूरी है। यदि किसी नैतिक आचरण के चलते साथी की सहमति नहीं है तो इसमें दूसरे साथी को अपने साथी का साथ देना चाहिये। अगर शारीरिक सम्बन्धों में जबरदस्ती हो तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच तलाक अथवा विवाह विच्छेद श्रेष्ठ उपाय है।

गांधी जी मानते थे कि रिश्तों का बन्धन एक

पवित्र लेकिन कच्चे धागे की डोर जैसा होता है जो विश्वास रूपी गांठ से बंधा रहता है। जब तक साथियों में आपसी विश्वास है। उनका रिश्ता सालों साल चलता रहता है। यदि आपस में विश्वास नहीं है ऐसी स्थिति में तलाक अथवा विवाह विच्छेद ही श्रेष्ठ रास्ता है। इसे चुनने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये।

गांधी जी महिलाओं की आबरू के बारे में स्पष्ट विचार रखते थे। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुकृत्य करना अपराध है। यदि कभी वो पुरुष की पाशविकता का शिकार बनती तो यह घोर जघन्य अपराध है जो अक्षम्य है।

गांधी जी ने सीता का उदाहरण देते हुए बताया कि रावण की अकूत शक्ति के आगे सीता अबला थी परन्तु उसकी चारित्रिक निर्मलता रूपी शक्ति से रावण सदैव पराजित रहा उसने बहुत से प्रलोभन दिये पर सीता को स्पर्श भी नहीं कर सका।

गांधी जी मानते थे कि सभी स्त्रियों को निर्भय बनना चाहिये तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिये यदि फिर भी परिस्थितियाँ विपरीत हो तो बिना डरे अपने हथियार नाखून एवं दांत से हमला करना चाहिये स्वयं की रक्षा करते हुए अपनी आबरू को बचाना चाहिये। निर्भय रहकर मुकाबला करते हुए यदि जान भी चली जाये तो डरना नहीं चाहिये।

गांधी जी कहते थे कि भय रहित समाज के निर्माण की प्रथम और सबसे मजबूत स्तंभ है। इसमें पिता, पति, भाई, साथी, श्वसुर सभी को अपनी पुत्री, पत्नी, बहिन, पुत्रवधु, मित्र में सदैव आत्मरक्षा का गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिये, जब महिलाएँ भय मुक्त होगी तो निश्चित ही समाज में हमारी बहिन, बेटियाँ अपनी आबरू की रक्षा करते हुए एक भय मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकेगें। गांधी जी वैश्यावृत्ति को भी सामाजिक कुरुति मानते थे उनका विचार था कि जब समाज में दूसरी अमानवीय कुरुतियों का नाश हुआ जैसे ही वैश्यावृत्ति भी समाप्त होनी चाहिये। महिलाओं की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिये कि उनको जीवन

यापन के लिए अपना शरीर बेचना पड़े।

यह प्रथा मानव जाति के आरम्भ से ही चली आ रही है। परन्तु यदि उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोल्वेशन आर्मी के सदस्यों ने मुबई की तंग गलियों में अपनी जान की परवाह किये बिना धरने दिये तथा इस कुरुति के विरुद्ध अभियान चलाये जैसे ही सामाजिक संगठनों को आगे आकर इस अमानवीय कुप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिये।

वैश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं को इस नरक से बाहर निकालकर उनके राजेगार, पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिये ताकि उनकी प्रगति भी सुनिश्चित हो सके।

गांधी जी इस बात को स्वीकारते थे कि मनुष्य की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिये जिससे उसे अस्मत् बेचनी पड़े। सामाजिक संगठनों को कानूनी दायरे में रहकर इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये तभी हमारा समाज व्यभिचार मुक्त समाज बनेगा। जिसमें सभी को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ने का अधिकार होगा। तभी हमारा समाज भय मुक्त प्रगतिशील समाज बनेगा। जिसमें सभी की प्रगति सुनिश्चित होगी।

गांधी जी स्त्री शिक्षा के भी पक्षधर थे तथा यह भी मानते थे कि यदि शिक्षा के कारण महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो यह गलत है। स्त्रियों की शिक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिये। शिक्षा की व्यवस्था एक बेटी के रूप में शुरू होकर पुत्रवधु की शिक्षा तक चलनी चाहिये स्त्रियों को सदैव पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिये। ऋग्वैदिक काल से हमने यह देखा कि अनेक विदुषियों अपाला, लोपामुडा, घोषा, सिकता, विश्वेभरा न केवल वैदिक ग्रन्थों की रचनाकार थी अपितु पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति को सुनिश्चित करती थी। उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल तथा वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि सामाजिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कहीं आगे है चाहे वो शिक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य, चिकित्सा, अंतरिक्ष,

रक्षा, खेल हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे रही हैं।

गांधी के विचार के थे कि स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था पारिवारिक स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर तथा होनी चाहिये तभी स्त्रियाँ राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ा पायेगी। महिलाएँ समाज की धूरी होती हैं प्रगति के समस्त पायदान महिला प्रगति अथवा उत्थान से ही गुजरते हैं जो शिक्षा के द्वारा संभव है। वास्तव में गांधी जी के सपनों का भारत बिना स्त्री शिक्षा के साकार नहीं हो सकता।

'जस्टिस रानाडे' ने कहा था कि "हम लोग अपने पूरे जीवन में स्त्रियों के हित में जितना काम कर पायेंगे गांधी जी एक दिन में कर देते हैं।" स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने सभी साथियों को अपनी पुत्री, माँ, पुत्रवधु सभी को घर से बाहर निकालकर उन्हें समझदार तथा स्वावलम्बी बनने का अवसर देने की बात कही। गांधी जी के प्रयासों से एक सामाजिक क्रांति आई घर से निकलर गलियों, कूचों और सड़कों पर खादी धारण स्त्रियाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति से लोगों को चकित और विस्मित करने लगी।

गांधी जी धार्मिक कट्टर लोगों को जो पुरुष और स्त्रियों में भेद मानते तथा अपने मन की विकृतियों के लिए स्त्री को दोषी मानते उनका विरोध किया। स्त्रियों को स्वावलम्बी बनने के लिए चरखे का माध्यम बनाया।

गांधी जी मानते थे कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सद्गुण होते हैं। स्त्रियों में त्याग, सहनशीलता, विनय और स्वभाविक रूप से अहिंसक वृत्ति मौजूद होती है। स्त्रियों में क्षमाशीलता का गुण है परन्तु पुरुषों ने सदैव इसका दुरुपयोग किया है।

गांधी जी ने स्त्रियों के गुणों के साथ उनमें स्थित दुर्गुणों के लिए उनके दम्भ को दोषी माना तथा कहा कि स्त्रियों में आपसी जलन की प्रवृत्ति व ईश्या प्रवृत्ति होती है। यदि वो इस प्रवृत्ति को दूर कर स्वयं का ध्यान चरखे में लगाये तथा स्वावलम्बी बने।

गांधी जी ने कहा कि पुत्रों की तरह पुत्रियाँ भी पिता

का सहारा होती है। इसके लिए उन्होंने मनु और आभा को अपने बुढ़ापे का सहारा बना पूरे भारत वर्ष को संदेश दिया कि सिर्फ पुत्र ही नहीं पुत्रियाँ भी बुढ़ापे की लाठी होती है।

गांधी जी की दृष्टि में स्त्रियाँ बहुत अच्छी प्रबंधक होती है राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा दी हुई सेवाओं को देखकर बापू को बहुत प्रसन्नता होती है। किन्तु विलासिता और चकाचौंध के पीछे दौड़ती भागती उनकी जिन्दगी को देखकर वो दुखी होते थे। उनके द्वारा जिन्दगी में समर्पण, त्याग तथा सेवा के द्वारा ही मनुष्य का उत्थान संभव है और ईश्वर की सबसे श्रेष्ठतम् कृति स्त्री भी इस मार्ग पर चलकर और भी सुगन्धित, पुष्पित और पल्लवित हो इस धरा को सत्य, शिव और सुन्दर स्त्री ही बना सकती है।

गांधी जी हिन्दु स्त्रियों को खुले में स्पष्ट कहते थे कि छूआछूत और जातपात का भेदभाव करने की आदत छोड़ देनी चाहिये। उन्हे सभी स्त्रियों से मिलना जुलना चाहिये। ग्राम की स्त्रियाँ अपने अवकाश का समय खराब नहीं करें। उस समय दूसरों के काम में सहयोग दे। गाँवों की सफाई, तालाब के पानी की सफाई, पानी को स्वच्छ रखना आदि कार्य में व्यस्तता दिखानी चाहिये।

गांधी जी कहते थे कि यदि मेरा बस चले तो मैं विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष रख दूँ। गांधी जी

सदैव परिपक्व उम्र में विवाह के हिमायती थी। बालविवाह को शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक दृष्टि से नुकसान दायक बताया है।

गांधी जी मानते थे कि आज देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है परन्तु दुःख इस बात का है कि आधी आबादी निष्क्रिय है। इससे यदि आजादी भी मिली तो वो पूर्ण नहीं होगी। अतः संघर्ष में स्त्रियों की भागीदारी, सहयोग तथा बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में शामिल होना जरूरी है तभी हम अपने सपनों का भारत का निर्माण कर पायेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. आर. के. प्रभु एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 1960, मेरे सपनों का भारत, अहमदाबाद, नवजीवन मुद्रणालय।
2. सूजाता, 2012, बापू और स्त्री, वाराणसी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट।
3. आर. के. प्रभु एवं यू. आर. राव, 1994, महात्मा गांधी के विचार, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया।
4. हरिजन, 28.9.1934
5. यंग इण्डिया, 13.2.1930
6. हरिप्रसाद व्यास, 1963, ग्राम स्वराज, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद।

•